न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 97 / 2021 / अपील / एलआरएक्ट / बून्दी कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 12.02.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

हरपाल आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बल्देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी (राज०)

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बूंदी जिला बूंदी (राज.)

....रेस्पोडेण्ट

उपस्थित : श्री रामकैलाश नागर अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 29 / अपील / 2019 बउनवान हरपाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 2383 / 2018 राजस्थान उप0 अधिनियम 1954 के अन्तर्गत धारा 22 में अपीलार्थी को वाके ग्राम दौलाड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी के खसरा सं0 265 रकबा बीघा 5 बीघा किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल चावल काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 15.10.2018 से 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 750 / – रूपये तावान से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 10.08.2020 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नही हैं और कब्जा छोडने का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, तावान राशि भी जमा करवायी जा चुकी हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज फरमा दी गई अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2020 कानूनी तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं हैं, किन्तु बिना किसी साक्ष्य के ही अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से भी उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी मिलने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिनांक 14.08.2020 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 20.08.2020 को प्राप्त हुई हैं। जिसके बाद कोरोना महामारी के कारण बून्दी में न्यायिक कार्य स्थगित होने से अपील प्रस्तुत करने में लगे समय को क्षम्य करते हुए अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.08.2020 को अपास्त किया जावे एवं दण्डादेश को निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया अपीलांट ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है एवं तथा अपीलांट के विरूद्ध वर्ष 2020 के पश्चात् आज दिनाकं तक तक कोई अतिक्रमी होने का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ करते हुए निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम दौलाड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी के खसरा सं0 265 रकबा बीघा 5 बीघा किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल चावल काश्त कर अतिक्रमण करने पर तथा पूर्व में भी सम्वत 2074 मौसम खरीफ में ग्राम दौलाड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी के खसरा सं0 265 रकबा बीघा 5 बीघा किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं0 2030/17 दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.10.2017 से बेदखली की कार्यवाही की गई थी। तहसीलदार, बून्दी द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 750/- रूपये तावान से दण्डित किये जाने का न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 15.10.2018 पारित किया गया है। न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा भी अतिक्रमित भूमि सरकारी किस्म चारागाह होने से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबंधित होने से किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा उचित नहीं मानते हुए तथा पश्चतावर्ती अतिक्रमीं पाये जाने से निर्णय दिनांक 10.08.2020 से अपील अपीलांट खारिज की गई। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 2383/2018 राजस्थान उप0 अधिनियम 1954 के अन्तर्गत धारा 22 में अपीलार्थी को वाके ग्राम दौलाड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी के खसरा सं0 265 रकबा बीघा 5 बीघा किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल चावल काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 15.10.2018 से 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 750/- रूपये तावान से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 10.08.2020 से खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलांट का तर्क रहा है कि अपीलांट का पश्चातवर्ती कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करादी है। वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट के विरूद्ध वर्ष 2020 के पश्चात् आज

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिनांक तक तक कोई अतिक्रमी होने का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में जुर्माना राशि जमा करवा दी गई है तथा वर्तमान में कोई कब्जा प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का नहीं है, और न हीं वर्ष 2020 से अतिक्रमी होने का कोई प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्व रूख अपनाते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 10.08.2020 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, बून्दी को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि "ग्राम दौलाड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी के खसरा सं0 265 रकबा बीघा 5 बीघा किस्म चारागाह" पर से अपीलांट द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत् अपीलांट परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बून्दी में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, बून्दी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलांट/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा